न्यायालय जिला मजिस्ट्रेट, सीकर

पीठासीन अधिकारी मुकुल शर्मा, आई.ए.एस.

पत्रावली संख्या : 270/2025 अन्तर्गत प्रतिभूति–हित का प्रवर्तन अधिनियम 2002

जना स्मॉल फाईनेन्स बैंक लिमिटेड जरिये प्राधिकृत अधिकारी श्री पंकज अमित सिंह

रजि. कार्यालयः– फेयरवे बिजनेस पार्क, भू–तल एवं प्रथम मंजिल, सर्वे नम्बर 10/1, 11/2 व 12/2बी, ऑफ डोमलूर, कोरमंगला इनर रिंग रोड, ईजीएल बिजनेस पार्क से आगे, चल्लाघट्ठा, बेंगलूर–560071

शाखा कार्यालयः–101–102, फर्स्ट फ्लोर, गुमान टॉवर, नेशनल हैण्डलुम के पास, वैशाली नगर, जयपुर

–प्रार्थी (प्रतिभूति लेनदार)

बनाम

1. **अमित कुमावत पुत्र मदन लाल कुमावत**
   प्रथम पताः–वार्ड न. 06 ग्राम करड़ तहसील दांतारामगढ़ जिला सीकर राज. 332710
   द्वितीय पताः–प्लॉट न. 46 श्रवण विहार, कालवाड़ रोड़ जयपुर राज. 302012
   तृतीय पताः–पट्टा न. 51, वार्ड न. 06 ग्राम करड़ ग्राम पंचायत करड़ पं.स. दांतारामगढ़ तहसील दांतारामगढ़ जिला सीकर 332710
2. **इन्द्रा देवी पत्नी मदन लाल कुमावत**
   प्रथम पताः– करड़ तहसील दांतारामगढ़ जिला सीकर राज. 332710
   द्वितीय पताः– प्लॉट न. 46 श्रवण विहार, कालवाड़ रोड़ जयपुर राज. 302012
   तृतीय पताः–पट्टा न. 51, वार्ड न. 06 ग्राम करड़ ग्राम पंचायत करड़ पं.स. दांतारामगढ़ तहसील दांतारामगढ़ जिला सीकर 332710

–अप्रार्थीगण (ऋणी/सहऋणी/बंधककर्त्ता)

न्यायालय जिला मजिस्ट्रेट सीकर (राज.)

(मुकुल शर्मा)
जिला मजिस्ट्रेट, सीकर

(मुकुल शर्मा)
जिला मजिस्ट्रेट, सीकर

<u>The application under section 14 of the securitisation and reconstruction of financial assets and enforcement of security interest Act. 2002.</u>

स्वीकृति आदेश

दिनांकः 23 फरवरी, 2026

1. प्रार्थी वित्तीय संस्था के अधिवक्ता **श्री विक्रम सिंह** द्वारा अधिनियम की धारा 14 के तहत प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया है। प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार है कि प्रार्थी ने अप्रार्थीगण संख्या 1 ता 2 क्रमशः **अमित कुमावत व इन्द्रा देवी** की ओर से पुनर्भुगतान हेतु जमानत प्रतिभूति के रूप में प्रार्थी वित्तीय संस्था के पक्ष में **अप्रार्थी** के स्वामित्व की बंधक **अचल सम्पत्ति पट्टा न. 51, वार्ड न. 06 ग्राम करड़ ग्राम पंचायत करड़ पं.स. दांतारामगढ़ तहसील दांतारामगढ़ जिला सीकर 332710** में स्थित है। जिसका **कुल क्षेत्रफल 116.16 वर्गगज** है। जिसकी चतुर्दिशाएं इस प्रकार हैं– पूरब दिशा में आम रास्ता, पश्चिम दिशा में बाबुलाल का मकान, उत्तर दिशा में बाबुलाल का मकान एवं दक्षिण दिशा में गिरधारी लाल जांगिड़ का मकान है। उक्त सम्पत्ति को बंधक रखकर **कुल ₹8,24,000/– रूपये (अक्षरे रूपये आठ लाख चौबीस हजार)** की ऋण सुविधा उपलब्ध कराई गई थी। अप्रार्थीगण ऋणी द्वारा प्रार्थी वित्तीय संस्था को ऋण भुगतान करने में असफल रहने पर अधिनियम की धारा 13(2) के अन्तर्गत अप्रार्थीगण को दिनांक **10.07.2025** को रजिस्टर्ड नोटिस जारी किए गये। नोटिस जारी किये जाने के बावजूद ऋण राशि मय ब्याज भुगतान नहीं करने पर प्रार्थी वित्तीय संस्था ने The Securitisation and Reconstruction of Financial Assets and Enforcement of Security Interest Act. 2002 की धारा 14 के तहत प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर अपने पास बंधक सम्पति का भौतिक रूप से कब्जा प्राप्त करने हेतु आवश्यक पुलिस इमदाद उपलब्ध कराने की इस्तदुआ की है।

2. पत्रावली दर्ज रजिस्टर की गई।

3. पत्रावली का भली भांति अवलोकन किया गया। प्रार्थी वित्तीय संस्था को भारत का राजपत्र में जारी वित्त मंत्रालय की अधिसूचना में सरफेसी अधिनियम 2002 के तहत वित्तीय संस्थान के रूप में निर्दिष्ट किया गया है।

न्यायालय जिला मजिस्ट्रेट * सीकर (राज.)

(मुकुल शर्मा)
जिला मजिस्ट्रेट, सीकर

4. प्रकरण में प्रार्थी वित्तीय संस्था द्वारा अप्रार्थीगण ऋणी को दिनांक **10.07.2025** को धारा 13(2) का रजिस्टर्ड नोटिस जारी किया गया है जिसकी अप्रार्थीगण ऋणी की प्राप्ति रसीद (Acknowledgement) की फोटो प्रति प्रार्थी वित्तीय संस्थान द्वारा प्रस्तुत की गई है।

5. अतः The Securitisation and Reconstruction of Financial Assets and Enforcement of Security Interest Act. 2002 की धारा 14 में प्रदत्त शक्तियों के तहत प्रार्थी वित्तीय संस्था द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाता है। अप्रार्थीगण संख्या 1 ता 2 क्रमशः **अमित कुमावत व इन्द्रा देवी** की ओर से पुनर्भुगतान हेतु जमानत प्रतिभूति के रूप में प्रार्थी वित्तीय संस्था के पक्ष में **अप्रार्थी** के स्वामित्व की बंधक **अचल सम्पत्ति पट्टा न. 51, वार्ड न. 06 ग्राम करड़ ग्राम पंचायत करड़ पं.स. दांतारामगढ़ तहसील दांतारामगढ़ जिला सीकर 332710** में स्थित है। जिसका **कुल क्षेत्रफल 116.16 वर्गगज** है। जिसकी चतुर्दिशाएं इस प्रकार हैं– पूरब दिशा में आम रास्ता, पश्चिम दिशा में बाबुलाल का मकान, उत्तर दिशा में बाबुलाल का मकान एवं दक्षिण दिशा में गिरधारी लाल जांगिड़ का मकान है। उक्त बंधक सम्पत्ति का भौतिक रूप से कब्जा प्राप्त करने हेतु प्रार्थी वित्तीय संस्था को पुलिस इमदाद जरिये पुलिस अधीक्षक सीकर द्वारा प्राप्त किये जाने के **स्वीकृति आदेश** प्रकरण अथवा बंधक सम्पत्ति पर **किसी दिगर न्यायालय का स्थगन नहीं होने की शर्त पर** दिये जाते हैं। उक्त आदेश की पालना हेतु पुलिस अधिकारियों/कर्मचारियों के वेतन भत्तों व न्यायालय आदि का भुगतान नियमों में देय है, जो सम्बन्धित बैंक/वित्तीय संस्थान द्वारा वहन किया जावेगा।

6. आदेश आज दिनांक **23 फरवरी, 2026** को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(मुकुल शर्मा)
जिला मजिस्ट्रेट, सीकर

न्यायालय जिला मजिस्ट्रेट सीकर (राज.)

(मुकुल शर्मा)
जिला मजिस्ट्रेट, सीकर